संख्या-64/2015/1843/नौ-5-2015-74बजट/2015

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
शिकोहाबाद-फिरोजाबाद।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ:: दिनांक 23 मार्च, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2014-15 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में सड़क सुधार के कार्यो हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त के रूप में धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1180/स्था0नि0सहा0/मा0मु0मं0घोषणा दिनांक 12.03.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद को द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन में प्रस्तावित कार्यो के सापेक्ष कुल **₹ 498.11** लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की जाने वाली धनराशि **₹ 249.05 (₹ दो करोड़ उनचास लाख पॉच हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण, शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख ₹ में)

निकाय/ जनपद का नाम	प्रस्तावित कार्य	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4
नगर पालिका परिषद, शिकोहाबाद-फिरोजाबाद	1. वार्ड नं. 5 ओम नगर में थान सिंह के मकान से सोनू के मकान तक इंटरलाकिंग टाइल्स रोड/ नाली निर्माण	10.49	
	2. वार्ड नं. 5 ओम नगर में वीरेन्द्र सिंह के मकान से तिवारी लाल के मकान तक व ज्वाला सिंह वाली गली में इंटरलाकिंग टाइल्स रोड/ नाली निर्माण	6.45	
	3. वार्ड नं. 5 रमेश नगर बोझिया में शारदा देवी, राकेश, रिन्कू, तिवारीलाल, घनश्याम, दयाराम, श्याम पाली वाली गलियों में इंटरलाकिंग टाइल्स रोड/नाली निर्माण	32.50	
	4.वार्ड नं. 5 रमेश नगर बोझिया में गुडडू,राहुल, माता मन्दिर, दिनेश, सुभाष, राजपाल, अरूण आदि गलियों में इंटरलाकिंग टाइल्स रोड/नाली	42.93	
	5. मु0 नई बस्ती लक्ष्मी नगर बोझिया में इंटरलाकिंग टाइल्स रोड /नाली निर्माण	19.52	
	6. नगला हीरा सिंह वार्ड नं. 17 में वेकार सखा वाला रोड व राधेश्याम, घनश्याम एवं दशरथ वाली गलियों में इंटरलाकिंग टाइल्स रोड/नाली निर्माण	22.69	
	7.वार्ड नं. 8 सागर रोड पर शेर सिंह के वाली गली पंकज हलवाई से चोखेलाल के मकान व अशोक वाली गली में इंटरलाकिंग रोड/	6.52	

निकाय/ जनपद का नाम	प्रस्तावित कार्य	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4
	नाली निर्माण		
	8. वार्ड नं. 2 अरविन्द के मकान से डा0 रविप्रकाश वाली गली एवं प्रवेश कुमार वाली गली में इंटरलाकिंग रोड/नाली निर्माण	11.65	
	9. वार्ड नं. 3 ओम नगर में भुडरई रोड पर बाबू राम बघेल के मकान से कमलेश के मकान तक एवं मु0 रशीद के मकान से राजाराम के मकान तक इंटरलाकिंग रोड/नाली निर्माण	11.77	
	10. वार्ड नं. 1 नगला किला में राजन सिंह कप्तान लेखपाल के मकान तक एवं धनपाल के मकान से अनिल कुमार के मकान तक इंटरलाकिंग रोड/नाली निर्माण	6.20	
	11. वार्ड नं. 14 आवास विकास कालोनी में राजेश कुमार, अरूण कुमार रविन्द्र से कमाल खॉ, भदौरिया वाली तथा पप्पू खान से राधे श्याम वाली गली में इंटरलाकिंग रोड/नाली निर्माण	25.47	
	12. वार्ड नं. 2 आदर्श नगर में अवधेश के मकान से अजीत के मकान तक कवी से आशिष कुमार व जयवीर सिंह के मकान से महीपाल के मकान तक इंटरलाकिंग रोड/नाली निर्माण	12.19	
	13. वार्ड नं. 2 आदर्श नगर में अश्वनी वकील साहब एवं गौरी शंकर वाली गली में इंटरलाकिंग रोड/नाली निर्माण	4.97	
	14. वार्ड नं. 1 आदित्य पुरम मुकेश सक्सेना वाली गली में इंटरलाकिंग रोड/नाली निर्माण	14.39	
	15. वार्ड नं. 1 राष्ट्रीय विद्यालय रोड पर रामनन्दन के मकान से अमर पाल सिंह फौजी के मकान तक इंटरलाकिंग रोड/नाली निर्माण	3.91	
	16. वार्ड नं. 4 कटरामीरा बालमीक बस्ती में इनाम सिंह के मकान से ग्रीश के मकान तक एवं बहादुर व शान्ती स्वरूप वाली गली में इंटरलाकिंग रोड/नाली निर्माण	9.99	
	17. वार्ड नं. 10 गुलाब बाड़ी निर्मला देवी के मकान से सहदेव के मकान तक एवं आगे स्कूल वाली गली में इंटरलाकिंग रोड/नाली निर्माण	11.49	
	18. वार्ड नं. 25 एटा रोड बुर्ज पर हरी शंकर से मजार तक एवं महादेव प्रसाद से महेश गढसान वालों तक व खेतपाल वाली गली में इंटरलाकिंग रोड/नाली निर्माण	30.76	
	19. वार्ड नं. 2 में महेन्द्र सिंह के मकान से श्रीकिशन, कमलेश व हेमेन्द्र सिंह के मकान तक इंटरलाकिंग रोड/नाली निर्माण	19.00	
	20. वार्ड नं. 16 व 10 कटरामीरा में छोटे हलवाई से तकिया, शिकोहाबाद पब्लिक स्कूल से हजीरो रोड तक व अन्य गलियों में इंटरलाकिंग रोड/नाली निर्माण	44.71	
	21. वार्ड नं. 3 कोल्ड के बगल में टीटू प्रधान के पास वाली गलियों में इंटरलाकिंग रोड/नाली निर्माण	24.81	

निकाय/ जनपद का नाम	प्रस्तावित कार्य	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4
	22. वार्ड नं. 3 नगला कुँवर प्रसाद में एस0एस0 मैमोरियल पब्लिक स्कूल से सुशीला देवी के मकान तक व अन्य गलियों में इंटरलाकिंग रोड/नाली निर्माण	39.63	
	23. वार्ड नं. 19 मोहल्ला पालीवाल नगर में योगेश, नीतू सिंह, राजपाल, राम गोपाल वाली गली में इंटरलाकिंग रोड/नाली निर्माण	28.66	
	24.वार्ड नं. 4 मुहल्ला कटरामीरा में मुन्ना लाल के मकान से अतुल कुमार, राजेन्द्र यादव व संजू सोवन पुर वाले के मकान होते हुए रमाकान्त वकील के मकान तक इंटरलाकिंग रोड/नाली नि.	26.91	
	25. वार्ड नं. 17 नगला बाध विद्याराम के मकान से अमरपाल, रघुवीर, प्रमोद, अमर सिंह वाली गली एवं लिंक गलियों में इंटरलाकिंग रोड/नाली निर्माण	30.50	
	योग	498.11	249.05

(₹ दो करोड़ उनचास लाख पाँच हजार मात्र)

1. स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए/ डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित की जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।
3. योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-2087/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 07 जून, 2013 तथा शासनादेश संख्या-3747/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 10 सितम्बर, 2013 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।
4. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
5. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
7. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
8. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
9. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत **'डिस्प्ले बोर्ड'** पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
10. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को दिनांक 31-03-2015 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।

11. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चत करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

2. स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत **लेखाशीर्षक '2217-शहरी विकास-05-अन्य शहरी विकास योजनार्ये-800-अन्य व्यय सामान्य-09-सड़क सुधार हेतु व्यवस्था-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान'** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 के तहत प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-64/2015/1843(1)/नौ-5-2015-74बजट/2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, आगरा।
3. जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
4. कोषाधिकारी, फिरोजाबाद।
5. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश लखनऊ/इलाहाबाद।
7. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त **आय-व्ययक**(अनुभाग-1/2)
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2014-2015

आवंटन दिनांक-23/03/2015

प्रेषण संख्या:- 64-2015

आवंटन आदेश संख्या:- 001-64-2015-1843-9-5-2015-74Bud-15

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनागत-मतदेय)
05 - अन्य शहरी विकास योजनाये
800 - अन्य व्यय
09 - सड़क सुधार हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	फिरोजाबाद-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	24905000 56501000	24905000 56501000
	योग	वर्तमान प्रगामी	24905000 56501000	24905000 56501000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ उनचास लाख पाँच हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पाँच करोड़ पैंसठ लाख एक हजार

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव